क्लब हाउस केवल भूतल पर प्रस्तावित है व स्पॉ ब्लॉक ग्राउण्ड+प्रथम तल तक प्रस्तावित है तथा इसमें एक जीना भी प्रस्तावित है।

प्रस्तावित भवन के चारों ओर पर्याप्त सैट बैक विद्यमान है।

प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्थाएं :

1. प्रस्तावित भवन परिसर में 75000 लीटर का अन्डरग्राउंड टैंक स्थापित कराकर 2280 एल0पी0एम0 का एक विद्युत तथा समकक्ष क्षमता का एक डीजल पम्प तथा 180 एल0पी0एम0 के जौकी पम्प की स्थापना के उपरांत प्रत्येक ब्लॉक में नियमानुसार वेट राइजर की स्थापना आवश्यक है।
2. प्रस्तावित भवन के A, B व C ब्लॉकों के प्रत्येक अपार्टमैंट की छत पर 10000 लीटर के टैरिस टैंक की स्थापना के उपरांत नियमानुसार प्रत्येक स्टेयर के समीप प्रत्येक तल पर हौज रील की स्थापना अनिवार्य है।
3. ब्लॉक B के सभी भवनों में स्प्रिंकलर व हाइड्रेन्ट की स्थापना नियमानुसार होनी है, जिसका कनैक्शन अन्डरग्राउण्ड टैंक व टैरिस टैंक से होना आवश्यक है।
4. प्रस्तावित भवन में मोइफा की स्थापना अनिवार्य है।
5. प्रस्तावित भवन के बेसमेंट में नियमानुसार स्प्रिंकलर की स्थापना कर उसका कनैक्शन अंडरग्राउण्ड टैंक व टैरिस टैंक से होना आवश्यक है।
6. प्रस्तावित भवन में निकास मार्गों के प्रदीप्ति संकेत चिन्हों की स्थापना नियमानुसार आवश्यक है।
7. प्रस्तावित भवन में आई0एस0 कोड 2190 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर की स्थापना अनिवार्य है।
8. प्रस्तावित भवन में नियमानुसार आपात प्रकाश व्यवस्था की स्थापना अनिवार्य है।
9. प्रस्तावित भवन के सभी फायर पम्पों का कनैक्शन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जेनरेटर से प्रथक सर्किट से होना जरूरी है।
10. प्रस्तावित भवन के चारों ओर एनबीसी मानक के अनुसार सैटबैक को सदैव अवरोध रहित रखा जाए, इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध अथवा निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

आई० बी० द्विवेदी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मथुरा

क्रमशः——3

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त शर्तों के साथ यह अनुबन्धात्मक प्रावीजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है कि उक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बनी उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली–2005 के द्वारा अधिग्रहीत भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता–2005 के अनुसार प्रस्तावित की जाती है, जिन्हें भवन के प्रयोग से पूर्व ही एक वर्ष के अन्दर सम्पादित कराकर अग्नि शमन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के उपरांत अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना वृहद जनहित में अनिवार्य होगा, अन्यथा निर्गत प्रमाण–पत्र निरस्त माना जाएगा।

(वाई0वी0 द्विवेदी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मथुरा

प्रतिलिपि

1 अग्नि शमन अधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2 श्री जोगेन्द्र कुमार खुराना व नवीन भटेजा, प्रोपराइटर, हाई व्यू कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 404, क्राउन हाइट्स, रोहिणी, सेक्टर–10, नई दिल्ली

(वाई0वी0/ द्विवेदी)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
मथुरा

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, मथुरा

पत्रांक : सीएफओ–अ0सु0–12/11

दिनांक : 03.03.2011

सेवा में,

सचिव,

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

मथुरा।

विषय : खसरा नम्बरान 714–ए, 693, 715 व 692, मौजा जैंत, मथुरा–दिल्ली रोड पर ग्रुप हाउसिंग भवनों के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना।

सन्दर्भ : हाई व्यू कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 404, क्राउन हाइटस, रोहिणी, सेक्टर–10 नई दिल्ली के प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.02.2011 के सन्दर्भ में।

कृपया उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के साथ प्रेषित मानचित्रों का अध्ययन करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

ढाँचागत संरचना के सम्बन्ध में –

कुल प्लाट एरिया 35160.00 वर्ग मीटर पर समस्त भवनों का ग्राउण्ड कवरेज एरिया 6106.88 वर्ग मीटर, बेसमेंट हेतु कवर्ड एरिया 3776.96 वर्ग मीटर, स्टिल्ट कवर्ड एरिया 6106.88 वर्ग मीटर प्रस्तावित है। प्रस्तावित भवन में तीन ब्लॉक A, B, C टाइप तथा क्लब हाउस ब्लॉक व स्पॉ ब्लाक के निर्माण का प्रस्ताव है।

ब्लॉक A – चार अपार्टमेंट स्टिल्ट + ग्राउण्ड + 11वें तल तक प्रस्तावित है। प्रत्येक अपार्टमेंट में दो–दो ज़ीने प्रस्तावित है।

ब्लॉक B – दो अपार्टमेंट स्टिल्ट + ग्राउण्ड + 14वें तल तक प्रस्तावित है। प्रत्येक अपार्टमेंट में दो–दो जीने प्रस्तावित है।

ब्लॉक C – चार अपार्टमेंट, बेसमेंट, स्टिल्ट + ग्राउण्ड + 10वें तल + पेन्ट हाउस का निर्माण प्रस्तावित है। प्रत्येक अपार्टमेंट में दो–दो जीने प्रस्तावित है।

वाई0 डी0 द्विवेदी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

मथुरा

Scanned by CamScanner